प्रेषक,

सुभाष चन्द्र मौर्य ,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट),
कक्ष सं०-04, देवरिया।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्टार जनरल,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
देवरिया।

विषयः- उत्तर प्रदेश के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद का पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने तथा वर्तमान सेवा के साथ आगणित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सादर निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को दिनांकित 02.07.2024 को पुरानी सेवा को वर्तमान सेवा के साथ आगणित किए जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था तथा दिनांक 09.08.2024 को उ०प्र० राज्य के शासनादेश सं० 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 dated 28.06.2024 सपठित शासनादेश सं० 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)2024 dated 11.07.2024 के अनुपालन में श्रीमान् अपर महानिदेशक अभियोजन को उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद का पुरानी पेशन योजना से आच्छादित होने के कारण पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने हेतु विकल्प दिए जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था।

उसी के अनुक्रम में सादर अवगत कराना है कि पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने हेतु श्रीमान् अपर महानिदेशक अभियोजन उ०प्र० को विकल्प पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः सादर निवेदन है कि आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

ससम्मान।

भवदीय

S.c. Maurya 30/8/24

(सुभाष चन्द्र मौर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट),
कक्ष सं०-04, देवरिया।

दिनांकः-30.08.2024

कार्यालय जनपद न्यायाधीश देवरिया
पत्रांक 1680/XV / दिनांक 30.08.24 देवरिया
अग्रसारित
30/8/2024
जनपद न्यायाधीश
देवरिया
30.08.24

संलग्नक ब-3

प्रभार प्रमाण पत्र

पत्रसंख्या-प-449/2005/

दिनॉक:अप्रैल 11, 2005

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक अभियोजन अधिकारी (परि0) डा0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी,उ0प्र0 मुरादाबाद का पदाधिकार निदेशक अभियोजन उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-136-2004/ 2111 /05 दिनॉकित 5/4/2005 के अधीन जैसा कि यहॉ व्यक्त किया गया है, दिनॉक: अप्रैल 11, 05 के पूर्वान्ह/~~अपरान्ह~~ में हस्तान्तरित किया गया ।

सुभाष चन्द्र मौर्य

(सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आगमन करने के फलस्वरूप)

मोचक अधिकारी .... S.C Maurya 11/4/2005
(सुभाष चन्द्र मौर्य)

प्रतिहस्ताक्षरित

11/4/05
अध्यक्ष विधि संकाय
डा0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी
उ0प्र0मुरादाबाद ।

Self attested
S.C. Maurya
03/8/24

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-पुलिस महानिरीक्षक,प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ ।
2-अपर निदेशक अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ ।
3-संयुक्त निदेशक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद ।
4-कोषाधिकारी मुरादाबाद ।
5-संबंधित अधिकारी ।
6-कार्यालय प्रति ।

15/8/24

O/C

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र मौर्य,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट),
कक्ष सं०-4, देवरिया।

सेवा में,

श्रीमान् अपर महानिदेशक
अभियोजन उ०प्र०
शालीमार टॉवर, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ।

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
देवरिया।

संख्याः दिनांक:

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद का पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित होने के कारण पुरानी पेन्शन योजना में शामिल किए जाने हेतु विकल्प दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024 लखनऊ, दिनांकित 28 जून 2024 एवम् शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1) 2024 लखनऊ, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के क्रम में राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत अवगत कराना है कि मैं वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), कक्ष सं०-4, देवरिया के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा चयन/नियुक्ति उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा पार्ट-(III) 2018 में

होने के उपरान्त मैंने जनपद इलाहाबाद में दिनांक 04.06.2020 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

यह उल्लेखनीय है कि उ०प्र० राज्य सरकार के अधीन मेरी प्रथम नियुक्ति सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर विज्ञापन संख्या-ए-4/ई-1/2002 दिनांकित 31-12-2002 के सापेक्ष गृह (पुलिस) अनुभाग-9 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-764/छः-पु०-9-31(100)/2004, दिनांकित 05 अप्रैल 2005 को हुई थी।

मेरे द्वारा महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-136-2004/2111/05, लखनऊ दिनांकित 05 अप्रैल 2005 के अनुपालन में दिनांक-11-04-2005 के पूर्वान्ह में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रशिक्षणार्थ कार्यभार ग्रहण किया था। मैं उ०प्र० अभियोजन विभाग में अभियोजन अधिकारी के रूप में दिनांक 03.06.2020 तक जनपद फतेहपुर में कार्यरत रहा।

उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० 431(1)/छः-पु०-09-20-31(120)/17 दिनांक 20.02.2020 के क्रम में अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक एक-दो-136-2004(37)(449)/978/2020 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा जनपद फतेहपुर में नियुक्ति के दौरान उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2018 पार्ट-(III) के पद पर चयन उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने हेतु मुझे राज्यपाल महोदय द्वारा कार्यभार मुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनांक 03.06.2020 को जनपद फतेहपुर से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मेरे द्वारा दिनांक 04.06.2020 को जनपद इलाहाबाद में बतौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया। वर्तमान में मैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट),कक्ष सं०-4, देवरिया के पद पर कार्यरत हूँ।

नियमानुसार उत्तर प्रदेश शासन के सुसंगत शासनादेशों के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक-11-04-2005 से दिनांक-03.06.2020 तक की सेवाओं का लाभ मिलने की प्रत्याशा में मेरे द्वारा पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय में पत्र संख्या-1352/XV दिनांक 02.07.2024 द्वारा सेवायोजित किए जाने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। चूंकि उपरोक्त अद्यतन शासनादेशों क्रमशः संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024 लखनऊ, दिनांकित 28 जून 2024 एवम् शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1) 2024 लखनऊ, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के क्रम में मेरी राज्य के अधीन प्रथम नियुक्ति अभियोजन सेवा (सहायक अभियोजन अधिकारी) के रूप में है। अतः उपरोक्त सेवा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण मैं शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024

लखनऊ, दिनांकित 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये। तद्नुसार दिनांक-11 जुलाई 2024 को शासन द्वारा जारी विकल्प पत्र के प्रारूप पर आवेदन संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्लक-

1- विकल्प पत्र।

2- सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति।

3- सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण की प्रति।

4- सहायक अभियोजन अधिकारी के पद से कार्य मुक्ति आदेश की प्रति।

5- इलाहाबाद में बतौर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यभार ग्रहण की प्रति।

6- सेवा योजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दिये गये प्रत्यावेदन दिनांकित 02.07.2024 की प्रति।

7- वर्तमान प्रोफाइल की प्रति।

भवदीय

S.C. Maurya 09/08/24

(सुभाष चन्द्र मौर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट),
कक्ष सं०-4, देवरिया।

दिनांकः-09.08.2024

कार्यालय जनपद न्यायाधीश देवरिया
पत्रांक....../दिनांक.......देवरिया
1539/XV 09.08.24
अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश
देवरिया
09.08.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- श्रीमान् महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2- अपर मुख्य सचिव नियुक्ति अनुभाग-4, उ०प्र० शासन, लखनऊ

3- प्रमुख सचिव गृह अनुभाग-9 उ०प्र० शासन, लखनऊ

S.C. Maurya 09/08/24

(सुभाष चन्द्र मौर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट),
कक्ष सं०-4, देवरिया।

दिनांकः-09.08.2024

कार्यालय जनपद न्यायाधीश देवरिया
पत्रांक....../दिनांक.......देवरिया
1539(1),(II),(III)/XV
अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश
देवरिया
09.08.2024.

संलग्नक सं - 6

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र मौर्य,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)
कक्ष सं० - 4, देवरिया।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
देवरिया।

विषयः **पूर्व में की गयी सेवा को वर्तमान सेवा के साथ आगणित किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

ससम्मान निवेदन है किः-

(1) मैं उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), कक्ष सं० - 4, देवरिया के पद पर कार्यरत हूँ।

(2) मैने उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में दिनांक 04/06/2020 को बतौर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में जनपद इलाहाबाद में पदभार ग्रहण किया था।

(3) इस सेवा से पूर्व मैं उ०प्र० अभियोजन विभाग में बतौर सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में दिनांक 11/04/2005 को नियुक्त हुआ था तथा दिनांक 03/06/2020 को जनपद फतेहपुर से बतौर अभियोजन अधिकारी के रूप में उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया गया।

(4) दिनांक 03/06/2020 को अभियोजन विभाग से कार्यमुक्त होने के उपरान्त मैंने उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में दिनांक 04/06/2020 को जनपद इलाहाबाद में कार्यभार ग्रहण किया।

(5) मेरे द्वारा पूर्व में उ०प्र० अभियोजन विभाग में दिनांक 11/04/2005 से 03/06/2020 तक की सेवा को सेवागत एवं सेवानैवृत्तिक लाभ के उद्देश्य से वर्तमान सेवा में समायोजित किए जाने के संबंध में अभी तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि मेरी पूर्व सेवाकाल की अवधि को वर्तमान सेवाकाल में समायोजित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

ससम्मान।

भवदीय,

S. C. Maurya 02/07/24

(सुभाष चन्द्र मौर्य)

दिनांकः-02/07/2024

J.O. CODE- U.P.2732
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट),
कक्ष संख्या-4, देवरिया।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश देवरिया
पत्रांक......../दिनांक........ देवरिया

अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश
02.07.2024

संलग्नकः-छायाप्रतियां।

(1) उ0प्र0 अभियोजन विभाग में प्रभार प्रमाण पत्र दिनांकित 11/04/2005
(2) उ0प्र0 अभियोजन विभाग से कार्यमुक्त आदेश दिनांकित 03/06/2020
(3) उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रभार प्रमाण पत्र दिनांकित 04/06/2020

संतानकसं० -1

शासनादेश संख्या- 20/2024/[illegible]-3-2708[illegible]-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक

विकल्प पत्र

1. नाम सुभाष-चन्द्र मौर्य
2. [illegible] पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (EC Act)- देवरिया
3. [illegible] 163030=00
4. [illegible] विभाग का नाम न्यायविभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम अभियोजन
6. विज्ञप्ति की तिथि 31/12/2002 (विज्ञापन सं० ए-4/ई-1/2002)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि 05/04/2005
8. योगदान की तिथि 11-04-2005
9. [illegible] 26-01-1972
10. [illegible] 31-01-2032

मैं सुभाष-चन्द्र मौर्य पुत्र/~~पुत्री/पत्नी~~ श्री शिवकुमार मौर्य शासनादेश संख्या-14/2024/[illegible]-3-2413[illegible]-2024-301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना ( ) [illegible] पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाये।

हस्ताक्षर S.C Maurya
नाम सुभाष चन्द्र मौर्य
पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (EC Act) देवरिया

घोषणा पत्र

मैं सुभाष चन्द्र मौर्य पदनाम ADJ/spl judge देवरिया यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा [illegible] तथ्य [illegible] नहीं गया है।

हस्ताक्षर S.C. Maurya
नाम सुभाष-चन्द्र मौर्य
पदनाम ADJ/Spl Judge (EC) Act देवरिया

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती .... पदनाम .... को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ( ) नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है.

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

Self attested
S.C. Maurya
05/8/24

[illegible] अभियोजन पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में 6 माह का आधारभूत [illegible] प्रशिक्षण निम्न प्रकार होगा–
[illegible] प्रशिक्षण न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
[illegible] माह का प्रशिक्षण न्यायालयों में किसी जनपद में।
[illegible] माह का प्रशिक्षण थाना में किसी भी जनपद में।
[illegible] प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आपको अलग से अवगत कराया जायेगा।

(ए0 अब्राहम कुरियन)
महानिदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

[illegible] सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन को उनके कार्यालय ज्ञाप [illegible]–781/[illegible]–गृ0–9–31([illegible])/2004 दिनांकित–5.4.2005 के सन्दर्भ में [illegible] प्रेषित।

[illegible] पुलिस महानिदेशक/प्रधानाचार्य, डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस [illegible], मुरादाबाद को नवचयनित सहायक अभियोजन अधिकारियों की सूची [illegible] प्रेषित है कि कृपया निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें–
[illegible] हेतु आने वाले नवचयनित सहायक अभियोजन [illegible] मार्गदर्शन की व्यवस्था।
[illegible] सहायक अभियोजन अधिकारी दिनांक 11.4.2005 तक [illegible] ग्रहण करते हैं उनकी सूची तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मूल रूप [illegible] उक्त तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी सूची [illegible] प्रतियों में [illegible] का कष्ट करें।

[illegible] अभियोजन मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादबाद को इस आशय से कि [illegible] अभ्यर्थी के डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में [illegible] ग्रहण की सूचना प्राप्त होने पर वेतन आहरण/वितरण की कार्यवाही [illegible] सुनिश्चित करें।

[illegible] पुलिस अधीक्षक, जनपद– [illegible]बाद को इस आशय से [illegible] अभ्यर्थी के अंकित पते पर इस पत्र की तामीली तत्काल सुनिश्चत [illegible] करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत करायें।
[illegible] अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(ए0 अब्राहम कुरियन)
महानिदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

Self attested
R. C. Maye
09/8/24

संलग्नक सं –5

कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन, जनपद–फतेहपुर

पत्रांक अभि–फते0–एचजेएस/215/2020 दिनांक 03 जून, 2020

// आदेश //

उ0प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग–9 के कार्यालय ज्ञाप सं0–431 (1)/छः–पु0–9–20–31(120)/17 दिनांक 20 फरवरी, 2020 के क्रम में अभियोजन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–एक–दो–136–2004(37)(449)/978/2020 दिनांक 12 मार्च, 2020 के द्वारा जनपद फतेहपुर में नियुक्त/कार्यरत श्री सुभाषचन्द्र मौर्य, अभियोजन अधिकारी का चयन उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा–2018(पार्ट–3) के पद पर होने के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभियोजन अधिकारी पद से कार्यमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। उ0प्र0 शासन द्वारा श्री सुभाषचन्द्र मौर्य के अभियोजन अधिकारी के पद से कार्यमुक्त की स्वीकार्यता शर्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री सुभाषचन्द्र मौर्य से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया गया है कि उनके विरूद्ध कोई विभागीय देयक अवशेष नहीं है।

अतः उ0प्र0 शासन के आदेश के अनुपालन में श्री सुभाषचन्द्र मौर्य, अभियोजन अधिकारी जनपद फतेहपुर को उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा–2018(पार्ट–3) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आज दिनांक 03–06–2020 को अपरान्ह में कार्यमुक्त किया जाता है।

Self attested
S.C. Maurya
03/01/24

भवदीय

संयुक्त निदेशक अभियोजन
फतेहपुर।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1–मा0 अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
2–जिलाधिकारी महोदय, जनपद प्रयागराज/जनपद फतेहपुर।
3–अपर निदेशक अभियोजन प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज।
4–महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5–वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद प्रयागराज/जनपद फतेहपुर।
6–श्री सुभाषचन्द्र मौर्य, अभियोजन अधिकारी।
7–कार्यालय पत्रावली।

Self attested
S.C. Maurya
02/07/24

संयुक्त निदेशक अभियोजन
फतेहपुर।
SUBHASH CHANDRA SINGH
JOINT DIRECTOR PROSECUTION
FATEHPUR

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, ALLAHABAD.
DATED : JUNE 04, 2020

संलग्नक सं.-5

CHARGE CERTIFICATE

*CERTIFIED THAT THE OFFICE OF THE ADDITIONAL ADDITIONAL DISTRICT JUDGE/FAST TRACK COURT, ALLAHABAD PURSUANT TO GOVERNMENT NOTIFICATION /APPOINTMENT NO. **317/II-4-2020-32(1)/2019 T.C.- III DATED 17.03.2020 AND HON'BLE HIGH COURT'S NOTIFICATION NO. 1158 / ADMIN. (SERVICES)/ 2020, DATED 01.06.2020,** AS HEREIN DENOTED IN THE FORENOON, OF THE DAY OF JUNE 04, 2020.*

S.C. Maurya.
(RELIVING OFFICER)
Name : Sri. Subhash Chandra Maurya
Designation : Additional District Judge,
/ Fast Track Court, Room No.11,
Allahabad.

Counter Signed.

04.6.20

DISTRICT JUDGE,
ALLAHABAD.

1072/I
No. 1072(4)/I, **ALLAHABAD : DATED :** 05/6/ **2020.**
Copy to :-

1. THE REGISTRAR GENERAL, HON'BLE HIGH COURT, ALLAHABAD.
2. THE O.S.D. (COMPUTER), HON'BLE HGH COURT, ALLAHABAD.
3. THE ASSISTANT REGISTRAR (SERVICES), HON'BLE HIGH COURT, ALLAHABAD.
4. SECTION OFFICER (ADMN. "A-2"), HON'BLE HIGH COURT, ALLAHABAD.
5. THE JT. DIRECTOR TREASURY, CAMP OFFICE, NEW TREASURY BUILDING, ALLAHABAD.
6. THE CHIEF TREASURY OFFICER, ALLAHABAD.
7. THE OFFICER CONCERNED.
8. PERSONAL FILE OF THE OFFICER CONCERNED (Maintained in the

संलग्नक सं -7

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A A- A A+

SRI SUBHASH CHANDRA MAURYA

Spl. Judge (E.C. Act)
Deoria

Id No:	UP2732
Father's/Husband's Name:	SHIV KUMAR MAURYA
Date of Birth:	26-01-1972
Date of Retirement:	31-01-2032
Home District:	Pratapgarh
Home State:	Uttar Pradesh
Date of Appt. in Judicial Service (in HJS):	01-06-2020
Date of Joining in HJS under Rule 22(3) of UP HJS Rule 1975:	
Date of Joining in HJS under Rule 22(1) of UP HJS Rule 1975:	01-06-2020
Date of Conf. in HJS:	

Qualification Details

SL	DETAILS	DIVISION	YEAR
1.	High School	First	1986
2.	Intermediate	First	1988
3.	B.Sc.	First	1991
4.	LL.B.	Second	1995

Posting Details

SL	DESIGNATION PLACE	FROM TO	REMARKS
1.	A.D.J. (FTC) Prayagraj	01-06-2020* 23-01-2023	secy., DLSA
2.	Addl. District & Sessions Judge Prayagraj	23-01-2023 15-04-2024	secy., DLSA
3.	Spl. Judge (E.C. Act) Deoria	16-04-2024	

(* : The exact date on which charge taken/handed over is not known. This is the date of notification of transfer.)

(The above information is subject to verification by Services Section.)

Selfattested
S.C. Maurya
09/8/24

09/08/24, 11

संलग्नक सं०-2

स्पीड-पोस्ट ✓

अभियोजन [illegible]देशालय, उत्तर प्रदेश,
[illegible] [illegible]लेवस, विभूति खण्ड,
[illegible] नगर लखनऊ ।

[illegible] 2111 /05 लखनऊ दिनांक 5 अप्रैल, 2005

[illegible]

-5 [illegible] , थाना- शिवकुटी

[illegible] 11004

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के [illegible] [illegible] के कार्यालय ज्ञाप संख्या-764 / छ-पु0-9-31(100) / 2004 दिनांकित- [illegible] सहायक अभियोजन अधिकारी वेतनमान रु0 [illegible] [illegible] नियुक्ति प्रदान की गई है।

[illegible] [illegible]डकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में अपने [illegible] [illegible] के साथ दिनांक-11.4.2005 को पूर्वान्ह में अवश्य कार्यभार [illegible] [illegible] निर्धारित अवधि तक आप कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं और न ही आपसे [illegible] हेतु [illegible] कारण दर्शाते हुए कोई प्रार्थना-पत्र उस अवधि के अन्दर प्राप्त [illegible] [illegible] तिथि के बाद से आपका अभ्यर्थन स्वंयमेव समाप्त हो जायेगा।

[illegible] [illegible]डकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में प्रशिक्षण हेतु [illegible] [illegible] हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

[illegible] वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा अनुमन्य भत्ता मंहगाई भत्ता [illegible] [illegible] पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होगें।

कार्यभार ग्रहण करते समय आपको निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होगें-

[illegible] प्रमाण-पत्र।
[illegible]।
[illegible] का प्रमाण-पत्र।
[illegible] में एक पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र।
[illegible] द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

[illegible] 2005 से डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में [illegible] प्रारम्भ होगा, जिसके लिए कृपया आप 2 नेकर (सफेद) [illegible] 2 सफेद कमीज, [illegible] [illegible] सफेद, 2 जोडी सफेद मोजे व बिस्तर [illegible] [illegible] हेतु व अन्य खर्चों हेतु अलग से लेकर आयें

.....2/